रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-600/2023/2900/22-2-2023-17(142)/2009
लखनऊ: दिनांक: 20 अक्टूबर, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामहित उर्फ चिरकूट (बन्दी संख्या-42215) पुत्र श्री कोदई, निवासी-विशुनपुर बुजुर्ग, थाना-खोरावार, जनपद-गोरखपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-ए414/1974 में भा0द0वि0 की धारा-147,395,302/149,307/149,324/149,201/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर के आदेश दिनांक 24.04.1976 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-02.08.2001 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 25.05.2023 तक 24 वर्ष 06 माह की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष 08 माह 24 दिन की भोगी गयी सपरिहार सजा, आयु 79 वर्ष 06 माह 28 दिन होने एवं जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-600/2023/2900(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (क्रि0) संख्या-370/2022 रामहित उर्फ चिरकूट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।